रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-ए.पी.-अ.-13122022-240863 CG-AP-E-13122022-240863

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630] No. 630] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 5 दिसम्बर, 2022

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/8/187/2022.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (1) (i) और धारा 114ए (2) (डीबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

उद्देश्यः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा को छोड़कर अन्य बीमाकर्ताओ द्वारा अन्य प्रकार की पूँजी के निर्गम के लिए प्रभावी विनियामक ढाँचा उपलब्ध कराना तथा न्यूनतम रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण मानदंड विनिर्दिष्ट करना।

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022 कहलाएँगे।
 - (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - (3) ये विनियम भारतीय बीमा विनिय़ामक और विकास प्राधिकरण (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015 का अधिक्रमण करेंगे।
 - (4) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए लागू रहेंगे, जब तक कि पहले समीक्षा या संशोधन नहीं किया जाता है।

8109 GI/2022 (1)

- 2. (1) परिभाषाएँ.—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - i. "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।
 - ii. "**प्राधिकरण**" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।
 - iii. "<mark>अन्य प्रकार की पूँजी" (ओएफसी)</mark> से बीमाकर्ता द्वारा यहाँ इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से जारी किये गये निम्नलिखित लिखत अभिप्रेत हैं:
 - (क) अधिमानी शेयर पूँजी; अथवा
 - (ख) गौण कर्ज।
 - iv. "**अधिमानी शेयर पूँजी**" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के स्पष्टीकरण (ii) में यथापरिभाषित और इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाली अधिमानी शेयर पूँजी अभिप्रेत है।
 - v. "गौण कर्ज" से अभिप्रेत हैः (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(30) में यथापरिभाषित और इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाला "डिबेंचर"; और (ख) प्राधिकरण द्वारा अनुमत किया जानेवाला कोई अन्य कर्ज लिखत।
 - (2) यहाँ इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित परन्तु कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किया गया है।

"अन्य प्रकार की पूँजी" के लिए अर्हता

- 3. अधिमानी शेयर पूँजी अथवा गौण कर्ज "अन्य प्रकार की पूँजी" के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे बशर्ते कि निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाएः
 - i. पूर्णतः प्रदत्तः उक्त लिखत अनिवार्यतः नकदी में जारी किये गये हों और पूर्णतः प्रदत्त किये गये हों;
 - ii. दावों की वरिष्ठताः दावों की वरिष्ठता निम्नलिखित क्रम से नियंत्रित होगीः
 - क) अधिमानी शेयरधारकः अधिमानी शेयरधारकों के दावे ईक्विटी शेयरधारकों के दावों से उच्चतर होंगे, परंतु पालिसीधारकों और सभी ऋणदाताओं के दावों से गौण होंगे;
 - ख) गौण कर्ज धारकः गौण कर्ज के धारकों के दावे अधिमानी शेयरधारकों और ईक्विटी शेयरधारकों के दावों से उस क्रम में उच्चतर होंगे, परंतु पालिसीधारकों और सभी ऋणदाताओँ के दावों से गौण होंगे।
 - ग) इसके अलावा, पालिसीधारकों के दावे सदैव सभी ऋणदाताओं के दावों से वरिष्ठ होंगे।
 - iii. प्रतिभूतिः इन विनियमों के अधीन जारी किये गये लिखत न तो प्रतिभूत होंगे और न ही बीमाकर्ता की गारंटी द्वारा अथवा अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा कवर किये जाएँगे जो बीमाकर्ता के पालिसीधारकों और ऋणदाताओँ के दावों की तुलना में दावों की वरिष्ठता को कानूनी तौर पर बढ़ाएँगी।
 - iv. **परिपक्वता अवधिः** इन विनियमों के अधीन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी किये गये लिखतों की परिपक्वता अवधि निम्नानुसार होगीः
 - क) अधिमानी शेयर पूँजीः परिपक्वता/मोचन अवधि निम्नलिखित से कम नहीं होगीः *(i)* जीवन बीमा कंपनियों, साधारण बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों के लिए दस वर्ष; तथा
 - (ii) स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए सात वर्ष।
 - ख) गौण कर्जः गौण कर्ज का निर्गम या तो बेमीयादी होगा, या परिपक्वता/मोचन अवधि निम्नलिखित से कम नहीं होगीः
 - (i) जीवन बीमा कंपनियों, साधारण बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों के लिए दस वर्ष; तथा
 - (ii) स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए सात वर्ष।

"अन्य प्रकार की पूँजी" के निर्गम के लिए शर्तें

- "अन्य प्रकारी की पूँजी" का निर्गम निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के अधीन है:
 - i. सभी लिखत अपरिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत्त और गैर-जमानती होंगे;
 - ii. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईएस) अथवा विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआईएस) सहित, विदेशी निवेशकों के द्वारा ऐसे लिखतों में निवेश निम्नलिखित के अधीन होगाः
 - क. एफआईआईएस और एफपीआईएस सिहत सभी विदेशी निवेशकों के द्वारा कुल निवेश फेमा अधिनियम, 1999, उसके अधीन बनाये गये विनियमों अथवा निर्धारित किन्हीं अन्य शर्तों में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा;
 - ख. एफआईआई और एफपीआईएस सहित विदेशी निवेशकों को अधिमानी शेयरों और गौण कर्ज का निर्गम यथाप्रयोज्य कीमत-निर्धारण दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए होगा;
 - ग. पूर्वोक्त लिखतों के निर्गम के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी")/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन किया जाएगा;
 - घ. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किये गये सभी निदेशों, अधिसूचना, आदेश आदि का अनुपालन;
 - ङ. एफडीआई के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन;
 - च. बीमाकर्ताओं को केवल भारतीय शेयर बाजारों में ही अपने गौण कर्ज को सूचीबद्ध करने की अनुमित दी जाएगी।
 - iii. लिखतों के समयपूर्व मोचन के लिए अधिमानी शेयरधारकों और गौण कर्ज के धारकों को बीमाकर्ता के द्वारा कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा।
 - iv. अधिमानी शेयरधारकों को देय लाभांश / गौण कर्ज धारकों को देय ब्याज की दर या तो एक नियत दर होगी अथवा एक अस्थिर (फ्लोटिंग) दर होगी। ऐसी दर बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर होगी;
 - v. गौण कर्ज पर ब्याज, लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश शेयरधारकों के वितरणयोग्य लाभ में से अदा किया जाएगा;
 - vi. बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता कम से कम शोधन-क्षमता के नियंत्रण स्तर पर रहेगी;
 - vii. अधिमानी शेयरों पर लाभांश वितरण का निरसन होने अथवा गौण ऋण की सर्विसिंग न होने की स्थिति में, ईक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के वितरण को छोड़कर बीमाकर्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएँगे;
 - viii. बीमाकर्ता सभी विनियामक अपेक्षाओँ का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, इन अपेक्षाओँ में कारपोरेट कानून और सभी अन्य यथाप्रयोज्य शर्तें शामिल हैं, परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;
 - ix. ऐसी अन्य शर्तें जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं।

पूर्व अनुमोदन

- बीमाकर्ता को किसी वित्तीय वर्ष के लिए अधिमानी शेयरों के लिए लाभांश अथवा किसी गौण कर्ज पर ब्याज के भगतान के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा यदिः
 - i. शोधन-क्षमता, शोधन-क्षमता के न्यूनतम नियंत्रण स्तर से नीचे है; अथवा
 - ii. ऐसे उपचय अथवा भुगतान का प्रभाव शोधन-क्षमता के नियंत्रण स्तर से नीचे आने में अथवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षा से नीचे रहने में परिणत होगा; अथवा
 - iii. उपचय अथवा ब्याज के भुगतान का प्रभाव निवल हानि में परिणत होता है अथवा निवल हानि में वृद्धि करता है।

रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

- 6. इन विनियमों के अधीन लिखत जारी करनेवाला बीमाकर्ता आबंटन की तारीख से 15 दिन के अंदर इन लिखतों के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई निधियों का विवरण देते हुए प्राधिकरण को एक रिपोर्ट फाइल करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं है:
 - जुटाई गई कुल राशि,
 - अभिदाता(अभिदाताओं) का नाम, पता और राष्ट्रीयता,
 - निर्गम का प्रयोजन.
 - जारी किये गये लिखतों का प्रकार और स्वरूप,
 - ब्याज की दर (नियत/अस्थिर) अथवा लाभांश,
 - प्रीमियम, जिस पर लिखत का अभिदान किया गया है, जहाँ लागू हो,
 - बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता की स्थिति पर अन्य प्रकार की पूँजी लिखतों के निर्गम का प्रभाव,
 - एक पुष्टीकरण कि बीमाकर्ता द्वारा अन्य प्रकार की पूँजी के निर्गम के संबंध में सभी लागू कानूनों का अनुपालन किया गया है,
 - शर्त पत्रक (टर्म शीट) (यदि कोई निष्पादित हो) के साथ प्रस्ताव व आवेदन पत्र / सूचना ज्ञापन की प्रति।

तुलन-पत्र में वर्गीकरण

- 7. समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा तैयार किये जानेवाले तुलन-पत्र में इन विनियमों के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये लिखतों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जाएगाः
 - i. अधिमानी शेयर पूँजी के मामले में, संबंधित अनुसूची में शीर्ष "शेयर पूँजी" के अंतर्गत;
 - ii. गौण कर्ज के मामले में, संबंधित अनुसूची में शीर्ष "उधार राशियाँ" के अंतर्गत;
 - iii. यदि कोई लिखत प्रीमियम पर जारी किया जाता है, तो प्राप्त प्रीमियम संबंधित अनुसूची में शीर्ष "प्रतिभूति प्रीमियम" के अंतर्गत दिखाया जाएगा।

प्रकटीकरण

8. बीमाकर्ता समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपिनयों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अनुसार तैयार किये गये वार्षिक वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाली लेखा-टिप्पणियों में निर्गम की शर्तों और परिपक्वता / मोचन अविध के सारांश के साथ इन विनियमों के अंतर्गत लिखतों के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई राशि का प्रकटीकरण करेगा।

लिखतों का प्रत्याह्वान (काल बैक)

- 9. कोई भी बीमाकर्ता "विक्रय विकल्प" (पुट आप्शन) के साथ इन विनियमों के अंतर्गत कोई लिखत जारी नहीं करेगा। तथापि, बीमाकर्ता निम्नलिखित के अधीन "क्रय विकल्प" (काल आप्शन) के साथ लिखत जारी कर सकता है।
 - क्रय विकल्प का प्रयोग लिखत के कम से कम पाँच पूरे किये गये वर्ष के लिए लिखत के चालू रहने के बाद किया जा सकता है;
 - ii. बीमाकर्ता क्रय विकल्प का प्रयोग प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना कर सकता है। बशर्ते कि प्राधिकरण का ऐसा पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, यदि ऐसे क्रय विकल्प का प्रयोग करने के बाद, बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता स्थिति शोधन-क्षमता के नियंत्रण स्तर से कम से कम 20% अधिक नहीं हो (उदा. 1.50 + 1.50 का 20% = 1.8).
 - iii. ऊपर परंतुक (ii) अनुसार क्रय विकल्प का प्रयोग करने के लिए बीमाकर्ता से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, प्राधिकरण क्रय विकल्प का प्रयोग करने और क्रय विकल्प का प्रयोग करने के बाद, दोनों ही समय, अन्य बातों के साथ-साथ बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता स्थिति और भावी व्यावसायिक योजनाओं पर विचार करेगा;

- iv. बीमाकर्ता प्रयोग किये गये क्रय विकल्पों के बारे में प्राधिकरण को विकल्प के प्रयोग की सूचना की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित करेगा।
- 10. इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, इसके द्वारा यह निश्चित रूप से स्पष्ट किया जाता है कि बीमाकर्ता द्वारा ब्याज का भुगतान न करने तथा गौण कर्ज की मोचन राशि की चुकौती न करने की किसी स्थिति को चूक की स्थिति के रूप में नहीं माना जाएगा और चूक की सूचना की स्थिति में शामिल करने के लिए यह अर्हता प्राप्त नहीं करेगी।

लिखतों के अभिदाता

- 11. ऐसे लिखतों के निर्गम के लिए निम्नलिखित के द्वारा अभिदान किया जा सकता है:
 - i. समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम,
 2022 में यथापरिभाषित भारतीय प्रवर्तक;
 - ii. समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 में यथापरिभाषित भारतीय निवेशक;
 - iii. समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 में यथापरिभाषित विदेशी निवेशक:
 - iv. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जानेवाला कोई अन्य व्यक्ति।

एक बीमाकर्ता द्वारा किसी अन्य बीमाकर्ता की "अन्य प्रकार की पूँजी" में निवेश

- 12. एक बीमाकर्ता निम्नलिखित के अधीन किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई "अन्य प्रकार की पूँजी" में निवेश कर सकता है:
 - i. ऐसे निवेश केवल "अन्य निवेश" के अंतर्गत ही वर्गीकृत किये जाएँगे;
 - ii. ऐसे लिखत समय-समय पर यथासंशोधित आईआऱडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन होंगे;
 - iii. ऐसे निवेश शोधन-क्षमता के नियंत्रण स्तर का निर्धारण करने के लिए स्वीकार्य आस्ति के रूप में अर्हता-प्राप्त नहीं होंगे;
 - बशर्ते कि बीमाकर्ताओं की अन्य प्रकार की पूँजी के लिखतों में वर्तमान निवेश उपलब्ध शोधन-क्षमता के परिकलन के प्रति तब तक लगातार स्वीकार किये जाएँगे जब तक ऐसे निवेशों का अंतरण/मोचन नहीं किया जाता।
 - iv. बीमाकर्ता सामान्य (कामन) प्रवर्तक से युक्त अन्य बीमाकर्ता की अन्य प्रकार की पूँजी में निवेश नहीं करेगा।

लिखतों की जमानत पर ऋण प्रदान करना

13. बीमाकर्ता अपने द्वारा जारी किये गये लिखतों की जमानत पर कोई ऋण प्रदान नहीं करेगा।

अन्य प्रकार की पूँजी के लिए सीमा

- 14. अन्य प्रकार की पूँजी के अंतर्गत लिखतों की कुल मात्रा सबको एकसाथ लेते हुए किसी भी समय निम्नलिखित में से निम्नतर होगीः
 - i. बीमाकर्ता की कुल प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी तथा प्रतिभूति प्रीमियम का 50 प्रतिशत;
 - ii. बीमाकर्ता की निवल मालियत (नेट वर्थ) का 50 प्रतिशत।

15. शोधन-क्षमता की संगणना के प्रयोजन के लिए लिखतों का परिशोधन

 यहाँ इन विनियमों में नीचे उप-विनियम (ii) में विनिर्दिष्ट रूप में मार्जिन (हेयरकट) को घटाकर "अन्य प्रकार की पूँजी" के रूप में जारी किये गये लिखतों की गणना बीमाकर्ता के "उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन" के प्रति की जाएगी। ii. परिपक्वता से पहले अंतिम पाँच वर्षों में सीधी रेखा के आधार पर "उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन" की संगणना के प्रयोजन के लिए उक्त लिखत एक प्रगामी मार्जिन (हेयरकट) के अधीन किये जाएँगे। तदनुसार, जैसे ही इन विनियमों के अधीन जारी किये गये ये लिखत परिपक्वता के नजदीक पहुँचेंगे, बकाया शेषराशियों की गणना नीचे सारणी 'क' में निर्दिष्ट रूप में पूँजी में शामिल करने के लिए करनी होगी:

		· —
सा	रण	ा-क

परिपक्वता के लिए वर्ष	उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन में शामिल की गई पूँजी का %	
5 वर्ष और उससे अधिक	100%	
4 वर्ष और 5 वर्ष से कम	80%	
3 वर्ष और 4 वर्ष से कम	60%	
2 वर्ष और 3 वर्ष से कम	40%	
1 वर्ष और 2 वर्ष से कम	20%	
1 वर्ष से कम	0%	

वस्तुतः, केवल उपर्युक्त समायोजन करने के बाद गणना की गई राशि ही "उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन" में शामिल करने के लिए पात्र होगी।

इसके अलावा, इस प्रकार के मार्जिन (हेयरकट) का निर्धारण "परिपक्वता के लिए वर्ष" के आधार पर प्रत्येक वित्तीय तिमाही के अंत में लागू किया जाएगा।

16. बीमाकर्ता के बोर्ड का दायित्व

- i. अधिमानी शेयरों के निर्गम के लिए, बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा एक संकल्प तथा बीमाकर्ता के शेयरधारकों की आम सभा (जनरल बाडी) बैठक में एक विशेष संकल्प ऐसे अधिमानी शेयरों के निर्गम को प्राधिकृत करते हुए पारित किये जाएँगे;
- ii. किसी गौण कर्ज के निर्गम के लिए, ऐसे गौण कर्ज के निर्गम को प्राधिकृत करते हुए बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा एक संकल्प पारित किया जाएगा:
- iii. बीमाकर्ता का निदेशक बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि बीमाकर्ता की पूँजी और / या शोधन-क्षमता की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्य प्रकार की पूँजी जारी करना बीमाकर्ता के लिए युक्तिसंगत है।
- iv. बीमाकर्ता का निदेशक बोर्ड जिसने अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई है, (क) हर समय इन विनियमों का अनुपालन; (ख) गौण ऋण के लिए ब्याज/कूपन दर अथवा अधिमानी शेयरों के लिए लाभांश दर के औचित्य को सुनिश्चित करेगा।

17. कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्तिः

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

18. निरसन और बचत:-

- (1) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015 इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निरस्त किये जाएँगे।
- (2) जब तक इन विनियमों के द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों के संबंध में की गई किसी भी बात अथवा की गई किसी भी कार्रवाई अथवा किये गये रूप में अभिप्रेत अथवा किये गये किसी भी विषय के संबंध में समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत किया गया है अथवा कार्रवाई की गई है।

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 5th December, 2022

Insurance Regulatory Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2022

F. No. IRDAI/Reg/8/187/2022.--In exercise of the powers conferred by Section 6A (1) (i) and Section 114A (2) (db) of the Insurance Act, 1938, section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely: -

Objective: To provide for effective regulatory framework for issuance of Other Forms of Capital by Insurers other than a Foreign Re-insurer's Branch and to specify minimum reporting and disclosure norms.

- **1. Short title and commencement. --**(1) These regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2022.
 - (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - (3) These Regulations shall supersede Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2015.
 - (4) These Regulations shall be inforce for a period of 3 years from the date of their publication in the Official Gazette, unless reviewed or amended earlier.
- **2.** (1) **Definitions.** -In these Regulations, unless the context otherwise requires,
 - i. "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).
 - ii. "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).
 - iii. "Other Forms of Capital" (OFC) means the following instruments issued by an Insurer in the manner specified herein:
 - (a) Preference Share capital; or
 - (b) Subordinated Debt.
 - iv. "Preference Share Capital" means the preference share capital as defined in explanation (ii) to section 43 of the Companies Act, 2013 and satisfying the criteria laid down in these Regulations.
 - v. "Subordinated Debt" means: (a) "Debenture" as defined in Section 2(30) of the Companies Act, 2013 and satisfying the criteria laid down in these Regulations; and (b) any other debt instrument as may be permitted by the Authority.
 - (2) All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Companies Act, 2013 or Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or Rules or Regulations made there under shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

Qualification for "Other Forms of Capital"

- **3.** Preference Share Capital or Subordinated Debt shall qualify as "Other Forms of Capital" provided all of the following criteria are met:
 - i. Fully Paid up: The instruments must have been issued and fully paid up in cash;
 - ii. **Seniority of Claims**: The seniority of the claims shall be governed by the following order:
 - a) Preference shareholders: The claims of the preference shareholders shall be superior to the claims of the equity shareholders but shall be subordinated to the claims of the policyholders and all the creditors;

- b) **Subordinated Debt holders**: The claims of the holders of the Subordinated Debt shall be superior to the claims of the preference shareholders and equity shareholders in that order but shall be subordinated to the claims of the policyholders and all the creditors.
- c) Further, the claims of the policyholders shall always be senior to the claims of all the creditors.
- iii. **Security:** The instruments issued under these Regulations shall neither be secured nor covered by a guarantee of the Insurer or other arrangements that legally enhance the seniority of the claims as against the claims of the insurer's policyholders and creditors.
- iv. **Maturity Period:** The maturity period of the instruments issued by Insurers under these Regulations shall be as under:
 - a) **Preference Share Capital**: The maturity/redemption period shall not be less than: (*i*) Ten years for life insurance companies, general insurance companies and reinsurance companies; and
 - (ii) Seven years for health insurance companies.
 - b) **Subordinated Debt**: The issue of the Subordinated Debt shall either be perpetual, or the maturity/ redemption period shall not be less than:
 - (i) Ten years for life insurance companies, general insurance companies and reinsurance insurance companies; and
 - (ii) Seven years for health insurance companies;

Conditions for issue of "Other Forms of Capital"

- **4.** Issuance of "Other Forms of Capital" is subject to fulfilment of the following conditions:
 - i. All instruments shall be non-convertible, fully paid up and unsecured;
 - ii. Investment in such instruments by Foreign Investors including Foreign Institutional Investors (FIIs) or Foreign Portfolio Investors (FPIs) shall be subject to the following:
 - a The aggregate investment by all Foreign Investors including FIIs and FPIs shall not exceed the limit specified in FEMA Act, 1999, Regulations or any other stipulations issued thereunder:
 - b The issuance of the preference shares and Subordinated Debt to Foreign Investors including FII and FPIs shall be in compliance with the pricing guidelines as may be applicable;
 - The terms and conditions, if any, stipulated by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") / other regulatory authorities in regard to issue of the aforesaid instruments shall be complied with;
 - d Compliance with all directions, notification, order etc. issued by the Reserve Bank of India (RBI);
 - e Compliance with the directions/instructions issued by the Central government with respect to FDI;
 - f The Insurers shall be permitted to list their Subordinated Debt only on the Indian stock exchanges.
 - iii. No incentives shall be payable by the Insurer to preference shareholders and holders of Subordinated Debt for early redemption of instruments;
 - iv. The rate of dividend payable to the preference shareholders / interest payable to the Subordinated Debt holders may be either a fixed rate or a floating rate. Such rate shall be with reference to a market determined rupee interest benchmark rate;
 - v. Interest on Subordinated Debt shall be charged to the Profit & Loss Account and dividend on preference shares shall be paid out of the distributable profit of the shareholders;

- vi. The solvency of the Insurer shall remain at least at the Control Level of Solvency;
- vii. In the event of cancellation of dividend distribution on preference shares or failure to service the Subordinated Debt, no restrictions shall be imposed on the Insurer, except for distribution of dividend to equity shareholders;
- viii. Insurer shall ensure compliance with all regulatory requirements, including but not limited to Corporate laws and all other stipulations as may be applicable;
 - ix. Such other conditions as may be stipulated by Authority from time to time.

Prior Approval

- **5**. The Insurer shall require prior approval of the Authority for payment of dividend for preference shares or interest on any Subordinated Debt for any financial year if:
 - i. The solvency is below the minimum Control Level of Solvency; or
 - ii. The impact of such accrual or payment would result in the Control Level of Solvency falling below or remaining below the regulatory requirement specified by the Authority; or
 - iii. The impact of accrual or payment of interest results in net loss or increases the net loss.

Reporting requirements

- **6.** The Insurer issuing the instruments under these Regulations, shall within 15 days from the date of allotment, file a report to the Authority giving the details of the funds raised through issue of these instruments, including but not limited to:
 - Total amount raised,
 - Name, address and nationality of the subscriber(s),
 - Purpose of the issue,
 - Type and nature of the instruments issued,
 - Rate of interest (fixed/floating) or dividend,
 - The premium at which an instrument has been subscribed, where applicable,
 - Impact of the issuance of Other Forms of Capital instruments on the solvency position of the Insurer.
 - A confirmation that all applicable laws have been complied with in relation to issuance of Other Forms of Capital by the Insurer,
 - A copy of the offer cum application letter/information memorandum along with the term sheet (executed, if any).

Classification in the Balance Sheet

- **7.** The Balance Sheet to be prepared by the Insurer in accordance with IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 as amended from time to time, shall classify instruments issued by an Insurer under these regulations as under:
 - i. In case of Preference Share Capital, under the head "Share Capital" in the relevant schedule;
 - ii. In case of Subordinated Debt, under the head "Borrowings" in the relevant schedule;
 - iii. In case, any instrument is issued at a premium, the premium received shall be shown under the head "Securities Premium" in the relevant schedule.

Disclosure

8. The Insurer shall disclose the amount raised through the issue of instruments under these Regulations along with a gist of the terms of issue and the maturity / redemption period in the Notes to the Accounts forming part of the Annual Financial Statements prepared in accordance with IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 as amended from time to time.

Call Back of Instruments

- **9.** An Insurer shall not issue any instrument under these Regulations with "put option". However, an Insurer may issue the instruments with a "call option" subject to the following:
 - i. Call option may be exercised after the instrument has run at least for a period of five completed years;
 - ii. Insurer may exercise the call option without the prior approval of the Authority.
 - **Provided** that such prior approval of the Authority is required, if after exercising such call option, the solvency position of insurer is not, at least 20% above the Control Level of Solvency (e.g. 1.50 + 20% of 1.50 = 1.8).
 - iii. While considering the proposals, as at proviso to (ii) above, received from the Insurer for exercising the call option, the Authority shall, amongst other things, take into consideration the Insurer's solvency position and future business plans, both at the time of exercise of the call option and after exercise of the call option;
 - iv. Insurers shall inform the Authority of the call options exercised, within 15 days from the date of communication of exercise of option.
- 10. For the purposes of these regulations, it is hereby expressly clarified that any event of non-payment of Interest and non-repayment of the redemption amount of the Subordinated Debt by the Insurer shall not be construed to be an event of default and shall not be qualified to be included in an event of default intimation.

Subscribers to the Instruments

- 11. The issuance of such instruments may be subscribed by the following:
 - i. Indian promoters as defined in IRDAI (Registration of Indian insurance companies) Regulations, 2022 as amended from time to time:
 - ii. Indian investors as defined in IRDAI (Registration of Indian Insurance companies)
 - Regulations, 2022 as amended from time to time;
 - iii. Foreign investors as defined in Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 as amended from time to time;
 - iv. Any other person as may be approved by the Authority.

Investment by an Insurer in "Other Forms of Capital" of another insurer

- **12.** An Insurer may invest in the "Other Forms of Capital" issued by another Insurer subject to the following:
 - i. such investments shall only be classified under "Other investments";
 - ii. such instruments shall be subject to the exposure norms as specified in IRDAI (Investment) Regulations, 2016 as amended from time to time;
 - iii. Such investments shall not qualify as an admissible asset for determining the Control Level of Solvency;
 - **Provided** that the existing investments in the Other Forms of Capital instruments of the insurers will continue to be admitted towards the calculation of available solvency till such investments are transferred/redeemed.
 - iv. Insurer shall not invest in the Other Forms of Capital of another insurer having a common promoter.

Grant of Loans against the Instruments

13. Insurers shall not grant any loan against the security of the instruments issued by them.

Limit for Other Forms of Capital

- **14.** The total quantum of the instruments under Other Forms of Capital taken together shall be lower of the following, at any point in time:
 - i. 50 percent of the total paid up equity share capital and securities premium of an Insurer;
 - ii. 50 percent of the net worth of the Insurer.

15. Amortization of the instruments for the purpose of computing solvency

- i. The instruments issued as "Other Forms of Capital", net of hair cut as specified in sub regulation (ii) herein below, shall be counted towards "Available Solvency Margin" of the Insurer.
- ii. The instruments shall be subjected to a progressive hair cut for the purpose of computation of "Available Solvency Margin" on straight-line basis in the final five years prior to maturity. Accordingly, as these instruments issued under these Regulations approach maturity, the outstanding balances are to be reckoned for inclusion in capital as indicated in Table 'A' below:

\mathbf{T}_{i}	ΔR	LE	. A

Years to Maturity	% of Capital Included in Available Solvency Margin
5 years or more	100%
4 years and less than 5 years	80%
3 years and less than 4 years	60%
2 years and less than 3 years	40%
1 year and less than 2 years	20%
Less than 1 year	0%

In effect, the amount arrived at after making the above said adjustment alone shall be eligible for inclusion in "Available Solvency Margin".

Further, determination of such hair cut shall be applied at the end of each financial quarter based on the "years to maturity".

16. Responsibility of the Board of the Insurer

- For issuance of preference shares, a resolution by the board of directors of the Insurer and a special resolution shall be passed in the general body meeting of the shareholders of the Insurer authorising the issue of such preference shares;
- ii. For issue of any Subordinated Debt, a resolution by the board of directors of the Insurer shall be passed authorising the issue of such Subordinated Debt;
- iii. The board of directors of the Insurer shall ensure that it is rational for Insurer to issue Other Forms of Capital to meet its capital and / or solvency requirement.
- iv. The board of directors of the Insurer which has raised Other Forms of Capital shall ensure (a) compliance with these Regulations at all times; (b) the reasonableness of the interest/coupon rate for Subordinated Debt or dividend rate for preference shares.

17. Power to Remove Difficulties and Issue Clarifications:

In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

18. Repeal and Savings: -

- (1) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2015 shall be repealed from the date these Regulations come into force.
- (2) Unless otherwise provided by these Regulations, anything done or any action taken or purported to have been done or taken in respect of the Regulations mentioned in sub-regulation (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

DEBASISH PANDA, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./449/2022-23]